

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 मार्च 2024—फाल्गुन 23, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

क्र. CT-4-2-0001-2024-Sec-1-पाँच (CT) (09).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक CT-4-2-0001-2024-Sec-1-पाँच (CT) (06), भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2024 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, पैरा 4 में, अंक "60" के स्थान पर अंक "120" स्थापित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

क्र. CT-4-2-0001-2024-Sec-1-पाँच (CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-4-2-0001-2024-Sec-1-पाँच (CT) (09), दिनांक 13 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 13<sup>th</sup> March 2024

No. CT-4-2-0001-2024-Sec-1-V (CT) (09).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of the Section 20-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. CT-4-2-0001-2024-Sec-1-V (CT) (06), Bhopal, dated 7<sup>th</sup> February, 2024 namely :—

#### AMENDMENT

In the said notification, in para 4, for the figure "60", the figure "120" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.